उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की बैठक दिनाँक 15.1.1992 को परिषद कार्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में हुई वर्ष 1992 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक दिनाँक 15.1.1992 की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :-

1§	श्री आर0एस0 माथुर	प्रमुख सचिव, आवास उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2§	श्री शंकर अग्रवाल	विशेष सचिव, वित्त विभाग §वित्त सचिव के प्रतिनिधि§	सदस्य
3§	श्री जे0पी0 भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक	सदस्य
4§	श्री सुधाकर शुक्ल	प्रमुख सचिव/महानिदेशक §सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि§	सदस्य
5§	श्री हरिशंकर चौरसिया	प्रबन्ध निदेशक§उ0प्र0 जलनिगम लखनऊ के प्रतिनिधि§	सदस्य
6§	श्री अतुल कुमार गुप्ता	आवास आयुक्त,	सदस्य
7§	श्री के0एन0 प्रसाद	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव

विशेष आमन्त्री के रूप में :-

1§	श्री एस0के0 वर्मा	मुख्य अभियन्ता
2§	श्री आर0एस0 दोहरे	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
3§	श्री एन0के0 पचौरी	मुख्य वास्तुविद् नियोजक

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है :-

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1§	दि0 17.9.91 के क्र-ब में दि0 5.10.91 को हुई तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	1/§1§/92	दि0 5.10.91 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2.	परिषद की बैठक दि0 17.9.91 एवं 5.10.91 की अनुपालन आख्या।	1/§2§/92	सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि निम्न मदों के अतिरिक्त शेष पर कार्यवाही की गई/आदेश निर्गत कर दिए गये। 186§2§, 186§3§, 186§5§ एवं 186§6§ पर कार्यवाही की जा रही है।
3§	ओबरी यो0-बाराबंकी के सेक्टर-5 में प्रस्तावित 43नग टु0आ0व0 18/30प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	1/§3§/92	परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
4.	सिकन्दरा यो0-आगरा के सेक्टर-5 में स्व0वित्त पोषित यो0-89 के अन्तर्गत प्रस्तावित 15नग टाइप-I, 57/200प्रकार एम0आई0जी0 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	1/§4§/92	— तदैव —
5.	सिकन्दरा यो0-आगरा के सेक्टर-9 में स्व0वि0पो0यो0-89 के अंतर्गत प्रस्तावित	1/§5§/92	— तदैव —

1	2	3	4
(6)	सिकन्दरा यो0-आगरा के से0-9 में स्व0वि0पो0यो0-89 के अंतर्गत प्रस्तावित टाइप-2, 68/142प्रकार 9नग सेमीफिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	1/(6)/92	परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
(7)	परिषद की रावली रोड, बिजनौर में प्रस्तावित 25नग दु0आ0व0 18/40प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	1/(7)/92	— तदैव —
(8)	मुझोला यो0सं0-4, प्रथमचरण, मुरादाबाद में प्रस्तावित 58नग अ0आ0व0 26/40 प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव।	1/(8)/92	— तदैव —
(9)	सिकन्दरा यो0-आगरा के से0-5 में स्व0 वि0पो0-89 के अंतर्गत प्रस्तावित टाइप-3 57/108प्रकार के 13नग सेमीफिनिश्ड भवनों की प्रशा0 एवं वि0 स्वीकृति निर्गत हेतु प्रस्ताव।	1/(9)/92	— तदैव —
(10)	परिषद की झूंसी यो0सं0-3, इलाहाबाद में प्रस्तावित 17नग दु0आ0व0 13/23प्रकार भवनों की प्रशा0 एवं वि0 स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	1/(10)/92	— तदैव —
(11)	शाहाबाद यो0सं0-1 में प्रस्तावित 20नग दु0आ0व0 18/30प्रकार भवनों की प्रशा0 एवं वि0 स्वी0 निर्गत करने के सम्बन्ध में।	1/(11)/92	— तदैव —
(12)	हडको वित्त पो0-3 योजनाओं में स्वीकृत ऋण की शर्तों के सम्बन्ध में।	1/(12)/92	— तदैव —
(13)	हुडको द्वारा आपरेशनल फाइनेन्स योजना में स्वीकृत ऋण की शर्तों के संबंध में।	1/(13)/92	— तदैव —
(14)	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद के सृजन के संबंध में परिषद टिप्पणी।	1/(14)/92	संदर्भित शासनादेश केवल शासकीय कार्यालयों से संबंधित है। इसके अतिरिक्त इसी स्तर के अधिक पद प्रश्नगत संवर्ग को प्रस्ताव सं0-37 के निर्णय के अनुसार प्राप्त होंगे। तद्नुसार प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
(15)	सहायक श्रेणी-तृतीय कर्मचारियों की वरिष्ठता के केन्द्रीयकरण के संबंध में।	1/(15)/92	विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
(16)	परिषद की कमलानगर आवासीय योजना में से0-7 के "ए0" ब्लाक में निर्मित 224 दो मंजिले दु0आ0व0 भवनों में से 96नग भवनों में व्याप्त अवरताओं के सम्बन्ध में।	1/(16)/92	संशोधित रूप से पद सं0-64 पर प्रस्तुत होने के कारण वापस किया गया।
(17)	झूंसी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3, इलाहाबाद के अंतर्गत ग्राम-झूंसी कोहना के खसरा सं0-474 के संबंध में।	1/(17)/92	निर्मित क्षेत्रफी 82.4व0मी0 होते हुये 200 व0मी0 भूमि छोड़े जाने का क्या औचित्य है एवं सम्बद्ध भूमि किन मापदण्डों के अनुसार छोड़ी जाती है। इन विवरणों के साथ पुनः प्रस्तुत कियाजाय।
(18)	परिषद की काशीपुर यो0सं0-2, काशीपुर में समाविष्ट श्री नैत्थू सिंह पुत्र श्री हरबंश सिंह की भूमि खसरा सं0-160 के संबंध में।	1/(18)/92	प्रस्ताव से यह स्पष्ट नहीं है कि निर्माण कब किया गया था व सम्बद्ध भूमि किस मापदण्ड के अनुसार छोड़ी जानी प्रस्तावित है। पूरे विवरण के अनुसार पुनः प्रस्तुत किया जाये।
(19)	सर्वश्री दयानन्द आदि गाजियाबाद की भूमि को परिषद की यो0सं0-3 गाजियाबा-	1/(19)/92	विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव

1	2	3	4
(20)	रामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान यो0 सं0-2, रामपुर के सम्बन्ध में।	1/(20)/92	विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
(21)	वसुन्धरा यो0सं0-3, गाजियाबाद में अशोक सहकारी/आवास/समिति लि0, गाजियाबाद की समाविष्ट भूमि को अर्जमुक्त/समायोजन के सम्बन्ध में।	1/(21)/92	प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों के सिद्धान्तों को स्वीकृति दी गई, परन्तु शर्त सं0-3 में उल्लिखित दर विशेष पर परिषद कोई टिप्पणी नहीं करती है।
(22)	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की मुगलसराय भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी को परित्याग किए जाने के सम्बन्ध में।	1/(22)/92	विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तथा निर्देश दिया गया कि आवास आयुक्त यह जांच कर लें कि यदि भूमि नीची थी, तो इसे प्रथमतया: अर्जित ही क्यों किया जा रहा था।
(23)	रजदेपुर यो0, गाजियाबाद में समाविष्ट खसरा सं0-160 की भूमि रकबा 17 वि0 8धर श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री गणेश माली के पक्ष में अवमुक्त करने के संबंध में।	1/(23)/92	विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
(24)	अलीगंज रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान यो0सं0-5, काशीपुर-नैनीताल।	1/(24)/92	-- तदैव --
(25)	श्रीमती इन्द्रा गोपी की भूमि खसरा सं0-979 स्थित ग्राम-इस्माइलगंज, लखनऊ के सम्बन्ध में।	1/(25)/92	-- तदैव --
(26)	परिषद अधिकारियों/कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सुविधा।	1/(26)/92	प्रस्ताव निम्न संशोधन के साथ सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया :- (1) परिषद ग्रेच्युटी योजना में पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार देय लाभ ही दिये जायेंगे। (2) कर्मचारियों/अधिकारियों के दो प्रतिनिधि सदस्य होंगे। (3) योजना हेतु कोई अतिरिक्त कर्मचारी वर्तमान में नहीं दिये जायेंगे।
(27)	परिषद की पंचवटी कालोनी, सीतापुर में डा0 सतीश चन्द्र गुप्ता को आवंटित भूखंड सं0-बी0-13 के सम्बन्ध में।	1/(27)/92	प्रस्ताव विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
(28)	गदरपुर योजना में 50नग इ0आ0व0 18/30 प्रकार के भवनों हेतु पुनरीक्षित प्रशा-सनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	1/(28)/92	-- तदैव --
(29)	विज्ञापन में होने वाले व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	1/(29)/92	प्रस्ताव विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि विज्ञापन जारी करने के विषय में जो नीति अपनाई जा रही है उसे परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
(30)	परिषद के मस्टररोल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 90-91 के लिए संशोधित दर से अनुग्रह धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	1/(30)/92	सर्वसम्मति से संदर्भित शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वीकृति दी गई।
(31)	परिषद में लेखा एवं लिपकीय संवर्ग के पृथक्कीकरण पदोन्नति एवं सेवा विनि-यमावलियों में संशोधन।	1/(31)/92	प्रस्ताव सर्वसम्मति से इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु लेखाकारों एवं लेखापरीक्षकों की आवश्यक पाँच वर्ष की सेवा में कोई छूट नहीं दी जायेगी और यह भी आवश्यक होगा कि इस अनुभव में से न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव खण्ड कार्यालय का हो।

1	2	3	4
(32)	गाजियाबाद में वसुन्धरा यो० में स्थापित कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारी को विशेष वाहन भत्ता दिए जाने के सम्बन्ध में।	1/(32)/92	प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया परन्तु लागू किये जाने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।
(33)	परिषद में मस्टररोल/दैनिक वेतन पर कार्यरत डिप्लोमा होल्डर (सिविल/यांत्रिक) का पदनाम अवर अभियन्ता करने के सम्बन्ध में।	1/(33)/92	विचार विमर्श के उपरान्त स्थगित किया गया।
(34)	सहायक लेखाकार एवं लेखाकार का पदनाम परिवर्तित करके क्रमशः लेखाकार एवं वरिष्ठ लेखाकार करने हेतु।	1/(34)/92	प्रस्ताव विचार विमर्श के उपरान्त अस्वीकृत किया गया।
(35)	स्व०श्री अमर नाथ सिन्हा, सहायक श्रेणी-द्वितीय, नि०ख०-15, लखनऊ को विकासनगर योजना, लखनऊ में प्रदिष्ट अ०आ०व० भवन सं०-सी-3/552 के विरुद्ध देय धनराशि का 50% माफ करने के सम्बन्ध में।	1/(35)/92	— तदैव —
(36)	परिषद में वरिष्ठतम् अधिकारियों के साथ निजी सचिव के पदों के सृजन के सम्बन्ध में।	1/(36)/92	— तदैव —
(37)	परिषद में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	1/(37)/92	विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
(38)	कार्यप्रभारित बिजली मिस्त्री का वेतनमान पुनरीक्षित कराए जाने के सम्बन्ध में।	1/(38)/92	प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। निर्णय न हो पाने के कारण अगली बैठक के लिए स्थगित किया गया।
(39)	विशेष शोध भत्ता दिए जाने के संबंध में।	1/(39)/92	विशेष शोध भत्ता किस कार्य के लिए दिया जा रहा है और संबंधित अधिकारी द्वारा क्या शोध कार्य किया जा रहा है। संबंधित शासनादेश सहित पुनः प्रस्तुत किया जाये।
(40)	परिषद में कार्यरत ड्राईवरों को हैवीड्यूटी एलाउन्स रू0 60/-के स्थान पर रू0 100/= दिए जाने के सम्बन्ध में।	1/(40)/92	प्रस्ताव सर्वसम्मति से इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया गया कि इन्हें कोई ओवर टाइम न दिया जाता हो।
(41)	गुण नियंत्रण को0 प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ हेतु वाहन/टेलीफोन की स्वीकृति के संबंध में।	1/(41)/92	शासन के हाल ही में जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों को ध्यान में रखते हुये प्रस्ताव स्थगित किया गया।
(42)	श्री एस०पी० शर्मा, वास्तुविद् नियोजक को कार अग्रिम के सम्बन्ध में।	1/(42)/92	विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
(43)	भू०पू० शिक्षा मंत्री श्री अशोक बाजपेयी को आवंटित उ०आ०व० भवन सं0-10/14 के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में।	1/(43)/92	विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
(44)	इन्दिरानगर यो0-देहरादून के अंतर्गत श्री एस०के०भट्ट को आवंटित भूखंड सं0-165 के अनिर्माण शुल्क के सम्बन्ध में।	1/(44)/92	अनिर्माण अवधि के संबंध में शासन स्तर पर नीति निर्धारित की जा रही है। तद्नुसार प्रस्ताव स्थगित किया गया।
(45)	श्री शिव प्रसाद अवस्थी को परिषद की रा०पु०यो०, लखनऊ में आवंटित म०आ०व० भवन सं0-ए-36 के विरुद्ध देय दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में।	1/(45)/92	विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
(46)	इन्दिरानगर यो0-लखनऊ के अंतर्गत श्रीमती उमादेवी को आवंटित दु०आ०व० भवन सं0-19/65 के अवशेष धनराशि को किश्तों में करने के सम्बन्ध में।	1/(46)/92	विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
(47)	इंजीनियर [illegible]		

1	2	3	4
(48)	इन्दिरानगर यो0-लखनऊ में अ0आ0भ0 भवन सं0-14/777 के सम्बन्ध में।	1/(48)/92	विचार विमर्श के उपरान्त दण्ड ब्याज एवं विकल्प परिवर्तन शुल्क को देय किश्तों के साथ ही लिया जाना स्वीकृत किया गया।
(49)	परिषद की इ0न0यो0-लखनऊ के अंतर्गत लेखा संघ के पक्ष में म0आ0वृ0 भवन आवंटित करने के सम्बन्ध में।	1/(49)/92	विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
(50)	परिषद की दिल्ली रोड यो-हरिद्वार में स्थित व्यवसायिक भू0सं0-6 की विक्रय अनुमति के सम्बन्ध में।	1/(50)/92	विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। भविष्य के लिए यह अधिकार आवास आयुक्त को प्रतिनिधानित किया गया।
(51)	दमदमाकोठी (जिगर विहार) मुरादाबाद में विदेशी मुद्रा की वरीयता पर आवंटित उ0आ0व0 भवन सं0-ए-27 के विरुद्ध आंशिक भुगतान भारतीय मुद्रा में स्वीकार करने संबंधी श्रीमती मधु जैन की प्रार्थना।	1/(51)/92	विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
(52)	रा0पु0यो0 के सं0-10 एवं 13 से गुजर रही विद्युत लाइन हटाने के संबंध में।	1/(52)/92	विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
(53)	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम की कार्य प्रणाली के आधार पर परिषद में विभागीय पद्धति पर निर्माण एवं विकास तथा डिपाजिट कार्यों के सम्पादन के संबंध में।	1/(53)/92	विशेष सचिव, वित्त/प्रबन्ध निदेशक, जल निगम के प्रतिनिधि एवं मुख्य अभियन्ता की उपसमिति इस प्रस्ताव का अध्ययन करके निर्णय ले लें जिसके अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये और निर्णय परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
(54)	खून के रिश्तों में पंजीकरण परिवर्तन।	1/(54)/92	विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि इस विषय में पुनः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
(55)	पूर्व पंजीकृत व्यक्तियों से वर्तमान में पंजीकरण की अन्तर की धनराशि जमा कराने के सम्बन्ध में।	1/(55)/92	विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
(56)	रामघाट रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान यो0अलीगढ़ में समाविष्ट मेजर एच0के0सिंह की भूमि खसरा सं0-105 ग्राम-क्वारसी के समायोजन के सम्बन्ध में।	1/(56)/92	विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव वापस किया गया।
(57)	परिषद द्वारा दु0आ0व0 एवं अ0आ0व0 के भवनों में समाविष्ट भूमि के मूल्य पर देय 30% एवं 15% की छूट के संबंध में।	1/(57)/92	विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि छूट केवल दु0आ0व0 में भूमि पर ही दी जाये। दि0 24.12.88 से पूर्व की भूमि मूल्यांकन में क्रास सबसिडी हेतु संशोधन किया जाय।
(58)	कानपुर की यो0सं0-1 व 3 का नामांकन।	1/(58)/92	विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
(59)	प्रादेशिक पुष्प प्रदर्शनी माह फरवरी, 1992 के आयोजन हेतु परिषद द्वारा अनुदान।	1/(59)/92	— तदैव —
(60)	व्यवसायिक भूखण्डों में बेसमेन्ट की स्वीकृति तथा आवासीय तथा कार्यालय प्रयोग अनुमन्य करने के सम्बन्ध में परिषद द्वारा नियुक्त समिति की बैठक दि0 26 अक्तूबर, 1991 की संस्तुति की स्वीकृति।	1/(60)/92	— तदैव —

1	2	3	4
(61)	परिष्ठ तकनीकी सहायक/तकनीकीसहायक/सब इंजीनियर संवर्ग के सेवा विनियमावली की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	1/(61)/92	विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्थगित किया गया।
(62)	आशुलिपिक संवर्ग को सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियमावली में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में।	1/(62)/92	विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
(63)	श्री अनिल कुमार मेहरोत्रा को दमदमाकोठी (जिगर विहार), मुरादाबाद के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में प्रविष्ट उ0आ0भ0 भवन सं0-ए-30 के विरुद्ध देय अवशेष धनराशि का भुगतान भारतीय मुद्रा में स्वीकार किए जाने के सम्बन्ध में।	1/(63)/92	विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि निर्धारित की जा चुकी शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं है।
(64)	परिषद की कमलानगर आवासीय यो0-आगरा के से0-7 "ए0" ब्लाक में निर्मित 224 दो मंजिले दु0आ0भ0 भवनों में से 96 नग भवनों में व्याप्त अवरताओं के संबंधमें।	1/(64)/92	विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
(65)	इन0न0विस्तार यो0, लखनऊ के से0-12 में प्रस्तावित 3नग दुकानों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	1/(65)/92	विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
(66)	संजय विहार यो0सं0-2, हापुड़ में प्रस्तावित 8नग दुकानों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	1/(66)/92	— तदैव —
(67)	परिषद की रा0पु0यो0-लखनऊ के से0-13 में प्रस्तावित 13नग दु0आ0भ0 डब्ल-2/79 प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	1/(67)/92	— तदैव —
(68)	महानंद झारखण्डी यो0-गोरखपुर में 16नग दु0आ0भ0 18/40प्रकार भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	1/(68)/92	— तदैव —
(69)	यो0सं0-10, मेरठ के से0-3 में चतुर्थ हडको परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन 680नग दु0आ0भ0(13/25प्रकार) भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	1/(69)/92	— तदैव —
(70)	कमलानगर योजना के भवन सं0-एफ-317 म0आ0भ0(940प्रकार) में मरम्मत कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	1/(70)/92	विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि क्योंकि अधीक्षण अभियन्ता को दूसरा भवन उपलब्ध करा दिया गया। अतः स्टाफ क्वार्टर के रूप में आरक्षित इस भवन को परिषद की सामान्य नीति के अनुसार जहां है जैसी है के आधार पर नीलामी द्वारा निस्तारित कर दिया जाये।
(71)	वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग में नये पदों का सृजन।	1/(71)/92	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, विशेषसचिव, (वित्त) एवं मुख्य वास्तुविद नियोजक की उपसमिति गठित की गई जो इस विषय में विचार विमर्श करके संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
(72)	आवास एवं विकास परिषद की सितारगंज भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, नैनीताल को परित्याग किए जाने के सम्बन्ध में।	1/(72)/92	विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

1	2	3	4
(73)	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय।	I/(73)/92	
(1)	परिषद की सिकन्दरा यो0-आगरा के सं0-9 हेतु पेयजल की व्यवस्था आगरा जल संस्थान से कराये जाने के संबंध में।		विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
(2)	गाहपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान यो0 सं0-7, गोरखपुर में समाविष्ट श्रीमती विद्या वाग्देवरी देवी द्वारा संचालित श्रीमती इन्दिरा गांधी धार्मार्थ औषधालय, गोरखपुर की भूमि का आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में।		विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
(3)	इन्दिरानगर, प्रथम विस्तार यो0, लखनऊ में स्थित खसरा सं0-30, ग्राम-इस्माइलगंज की आंशिक भू-भाग को व्यवसायिक दरों पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।		विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
(4)	परिषद के विस्तृत कार्यक्षेत्र एवं बढ़ें हुए कार्यकलापों विशेष कर निर्माण एवं विकास कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण एवं सुनियोजित कार्यान्वयन हेतु परिषद में अधिशासी अभि0 (विद्युत/यान्त्रिक) के दो स्वीकृत पदों पर पदोन्नति एवं सहायक अभियंता के 33 पदों पर सीधी भर्ती करने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।		परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
(5)	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिगृहीत एवं विकसित भूमि में से सहकारी आवास समितियों को भूमि/भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।		दि0 19.11.91 को संदर्भित गृपहाउसिंग के अतिरिक्त सामान्य सहकारी आवास समितियों पर भी जारी किए जाने के आदेश शासन द्वारा जारी किये जा रहे हैं। अतः पृथक से परिषद द्वारा कोई व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
(6)	परिषद की गाजियाबाद यो0सं0-3 में समाविष्ट ग्राम-साहिबाबाद की भूमि खसरा सं0-675, 676, 671, 674, 687 एवं 668 को श्री मोती लाल गोयल के आवेदन के अनुसार अर्जनमुक्त करने के सम्बन्ध में।		विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों में एकरूपता के दृष्टिकोण से जिस तरह इस प्रकरण के समकक्ष अन्य प्रकरणों में निर्णय लिया गया है, उसी के अनुरूप आवास आयुक्त विधि एवं प्रशासनिक पहलुओं पर विचार कर अपने स्तर से निर्णय लेंगे, इस बात को देखते हुए कि परिषद के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और साथ ही पार्थी की समस्या का समाधान भी हो जाय।
(7)	अन्य निर्देश	(क)	परिषद में निर्मित सम्पत्तियों के निस्तारण की स्थिति पर एक विस्तृत नोट अगली बैठक में परिषद की जानकारी हेतु प्रस्तुत किया जाय।
		(ख)	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी परिषद की जानकारी हेतु अगली बैठक में परिषद में कैश-फ्लो के बारे में एक टिप्पणी प्रस्तुत करें।
		(ग)	वित्त एवं प्रशासनिक स्वीकृति के मामले बाई-सरकुलेशन अनुमोदनोपरान्त परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए जाते है, क्योंकि इस प्रकार के प्रकरणों काफी अधिक संख्या में होते है, प्रत्येक प्रकरण की पृथक टिप्पणी के अतिरिक्त एक तालिका के रूप में सभी प्रस्तावों के मुख्य-मुख्य विवरण सहित प्रस्तुत की जाया करें।

पुष्टि की गई।